उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /XX–4/2018–31(कारा0)/2017
देहरादून : दिनांक : 25 जनवरी, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी रोशनलाल (आयु 67 वर्ष) पुत्र श्री मोती राम, निवासी ग्राम–सैल पातालदेवी, थाना–कोतवाली अल्मोड़ा, अल्मोड़ा को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा एस0टी0 नं0–48/2002 में दिनांक 30.03.2007 को पारित निर्णय में धारा 302, 307, 452, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बंदी रोशनलाल वर्तमान में केन्द्रीय कारागार सितारगंज, उधमसिंहनगर में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक कारागार में अपरिहार 14 वर्ष 11 माह 19 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 01 माह 17 दिन की सजा भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, अब सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी रोशनलाल की अधिक आयु, अच्छे आचरण तथा इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बंदी रोशनलाल को उक्त दण्डादेश में उसके द्वारा भोगी गयी सजा को दण्ड के लिए पर्याप्त मानते हुए दण्डादेश की शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

3– श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी रोशनलाल पुत्र श्री मोती राम किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 248 (1)/XX–4/2018–31(कारा0)/2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
6. मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर/पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /XX–4/2018–31(कारा0)/2017
देहरादून : दिनांक : जनवरी, 2018

आदेश

सिद्धदोष महिला बंदी लीला पाठक (आयु 50 वर्ष) पत्नी स्व0 रमेश चन्द, निवासी ग्राम–पठक्यूड़ा, पट्टी–बालातड़ी, तहसील–गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ द्वारा एस0टी0 नं0–40/1999 में दिनांक 17.11.2000 को पारित निर्णय में धारा 302, 201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष महिला बंदी लीला पाठक वर्तमान में जिला कारागार, हरिद्वार में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक कारागार में अपरिहार 18 वर्ष 03 माह 09 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष 07 माह 09 दिन की सजा भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, अब सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष महिला बंदी लीला पाठक के खराब स्वास्थ्य, अच्छे आचरण तथा इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष महिला बंदी लीला पाठक को उक्त दण्डादेश में उसके द्वारा भोगी गयी सजा को दण्ड के लिए पर्याप्त मानते हुए दण्डादेश की शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

3– श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष महिला बन्दी लीला पाठक पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 249 (1)/XX–4/2018–31(कारा0)/2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार/पिथौरागढ़।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।
6. मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार/पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
8. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /XX–4/2018–31(कारा0)/2017
देहरादून : दिनांक : 25 जनवरी, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी हरीश उर्फ गुड्डा (आयु 73 वर्ष) पुत्र श्री हैरेल्ड मैसी, निवासी मौ0 लाल इमली पड़ाव कस्बा व थाना–टनकपुर, उधमसिंहनगर को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उधमसिंहनगर (रूद्रपुर) द्वारा एस0टी0 नं0–353/1999 में दिनांक 09.10.2001 को पारित निर्णय में धारा 302,307,452 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बंदी हरीश उर्फ गुड्डा वर्तमान में जिला कारागार, हरिद्वार में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक कारागार में अपरिहार 18 वर्ष 09 माह 21 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष 05 माह 07 दिन की सजा भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, अब सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी हरीश उर्फ गुड्डा के खराब स्वास्थ्य, अधिक आयु, अच्छे आचरण तथा इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बंदी हरीश उर्फ गुड्डा को उक्त दण्डादेश में उसके द्वारा भोगी गयी सजा को दण्ड के लिए पर्याप्त मानते हुए दण्डादेश की शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

3– श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी हरीश उर्फ गुड्डा पुत्र श्री हैरेल्ड मैसी किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 250(1)/XX–4/2018–31(कारा0)/2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार/उधमसिंहनगर।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर।
6. मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उधमसिंहनगर (रूद्रपुर)।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार/उधमसिंहनगर।
8. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– 127/XX–4/2018–31(कारा0)/2017
देहरादून : दिनांक : 25 जनवरी, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी गुलजार (आयु 72 वर्ष) पुत्र श्री तुफैल, निवासी मौहल्ला कस्सावान कस्बा व थाना–ज्वालापुर, हरिद्वार को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा एस0टी0 नं0–17/2000 एवं 217/1999 में दिनांक 22.11.2002 को पारित निर्णय में धारा 302 भा0द0वि0, 25/4 आर्म्स एक्ट एवं 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बंदी गुलजार वर्तमान में जिला कारागार, हरिद्वार में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक कारागार में अपरिहार 18 वर्ष 05 माह 20 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष 10 माह 26 दिन की सजा भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, अब सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी गुलजार के खराब स्वास्थ्य, अधिक आयु, अच्छे आचरण तथा इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बंदी गुलजार को उक्त दण्डादेश में उसके द्वारा भोगी गयी सजा को दण्ड के लिए पर्याप्त मानते हुए दण्डादेश की शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

3– श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी गुलजार पुत्र श्री तुफैल किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–251 (1)/XX–4/2018–31(कारा0)/2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
6. मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–4

संख्या– / XX–4 / 2018–31(करा0) / 2017

देहरादून : दिनांक : 25 जनवरी, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी हरपाल सिंह (आयु 63 वर्ष) पुत्र श्री टीका राम, निवासी चुराह नबदिया, थाना–अलीगंज, जिला–बरेली, उ0प्र0 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा एस0टी0 नं0–202 / 1989 में दिनांक 27.11.1990 को पारित निर्णय में धारा 302, 307 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बंदी हरपाल सिंह वर्तमान में जिला कारागार, हरिद्वार में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक कारागार में अपरिहार 14 वर्ष 08 माह 01 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 04 माह 22 दिन की सजा भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, अब सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी हरपाल सिंह के खराब स्वास्थ्य, अधिक आयु, अच्छे आचरण तथा इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बंदी हरपाल सिंह को उक्त दण्डादेश में उसके द्वारा भोगी गयी सजा को दण्ड के लिए पर्याप्त मानते हुए दण्डादेश की शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

3– श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी हरपाल सिंह पुत्र श्री टीका राम किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 252 (1) / XX–4 / 2018–31(करा0) / 2017, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार / बरेली।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
6. मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार / बरेली।
8. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /XX–4/2018–31(कारा0)/2017
देहरादून : दिनांक : 25 जनवरी, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी सोमा (आयु 82 वर्ष) पुत्र श्री जीवन, निवासी ग्राम–दादूबास, भगवानपुर, हरिद्वार को मा0 न्यायालय तृतीय त्वरित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा एस0टी0 नं0–156/2002 में दिनांक 01.02.2005 को पारित निर्णय में धारा 147,148,302/149, 307/149 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बंदी सोमा वर्तमान में जिला कारागार, हरिद्वार में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक कारागार में अपरिहार 14 वर्ष 04 माह 06 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 05 माह 29 दिन की सजा भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, अब सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी सोमा के खराब स्वास्थ्य, अधिक आयु, अच्छे आचरण तथा इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बंदी सोमा को उक्त दण्डादेश में उसके द्वारा भोगी गयी सजा को दण्ड के लिए पर्याप्त मानते हुए दण्डादेश की शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

3– श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी सोमा पुत्र श्री जीवन किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 253 (1)/XX–4/2018–31(कारा0)/2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
6. मा0 न्यायालय तृतीय त्वरित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– "/XX–4/2018–31(कारा0)/2017
देहरादून : दिनांक :25 जनवरी, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी लछम सिंह (आयु 75 वर्ष) पुत्र श्री हरक सिंह, निवासी ग्राम–ओखल ढुगा, पट्टी–पहाड़कोट, पोस्ट–डोनपरतों, नैनीताल को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा एस0टी0 नं0–36/1987 में दिनांक 16.10.1987 को पारित निर्णय में धारा 302,201,394 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बंदी लछम सिंह वर्तमान में जिला कारागार, हरिद्वार में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक कारागार में अपरिहार 14 वर्ष 01 माह 26 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 05 माह 11 दिन की सजा भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, अब सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी लछम सिंह के खराब स्वास्थ्य, अधिक आयु, अच्छे आचरण तथा इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बंदी लछम सिंह को उक्त दण्डादेश में उसके द्वारा भोगी गयी सजा को दण्ड के लिए पर्याप्त मानते हुए दण्डादेश की शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

3– श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी लछम सिंह पुत्र श्री हरक सिंह किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 254 (1)/XX–4/2018–31(कारा0)/2017, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार/नैनीताल।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
6. मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार/नैनीताल।
8. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /XX–4/2018–31(कारा0)/2017
देहरादून : दिनांक : 25 जनवरी, 2018

आदेश

सिद्धदोष बंदी शेखर चन्द्र (आयु 57 वर्ष) पुत्र श्री केशव दत्त, निवासी ग्राम–रिची, पट्टी–तल्ला, तहसील–बेतालघाट, नैनीताल को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा एस0टी0 नं0–102/2000 में दिनांक 06.10.2001 को पारित निर्णय में धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। सिद्धदोष बंदी शेखर चन्द्र वर्तमान में केन्द्रीय कारागार सितारगंज, उधमसिंहनगर में कारावासित है, जिसके द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक कारागार में अपरिहार 18 वर्ष 01 माह 15 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष 07 माह 13 दिन की सजा भोग ली गयी है।

2– श्री राज्यपाल, अब सम्यक विचारोपरान्त सिद्धदोष बंदी शेखर चन्द्र के खराब स्वास्थ्य, अच्छे आचरण तथा इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें मानवीय आधार पर ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धदोष बंदी शेखर चन्द्र को उक्त दण्डादेश में उसके द्वारा भोगी गयी सजा को दण्ड के लिए पर्याप्त मानते हुए दण्डादेश की शेष अवधि के लिए परिहार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

3– श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि यदि उक्त सिद्धदोष बन्दी शेखर चन्द्र पुत्र श्री केशव दत्त किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाय।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 255 (1)/XX–4/2018–31(कारा0)/2017, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, कारागार उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर/नैनीताल।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
6. मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर/नैनीताल।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति सिद्धदोष बन्दी को उपलब्ध कराने व इस सम्बन्ध में हुई अग्रेत्तर कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

****
*** TX REPORT ***
****

B NO.	MODE		NO.	DESTINATION TEL/ID	START TIME	PAGE	RESULT	
3776	TX	G3	001	01352757404	25/01 12:23	008	OK	05'08

सचिव राज्यपाल